UPMH010031282026

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–02, महराजगंज

पीठासीन अधिकारी–ज्ञानेन्द्र राव, (एच0जे0एस0)–UP 6492

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–956 / 2026

मुकेश चौधरी उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र खुशिहाल चौधरी।
निवासी औराटार टोला पकडीहवॉ, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज।

...................आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

............................विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–158 / 2026
धारा–318(4),338,336(3),340(2),352,351(3)61(2)ए,61(2)बी,127(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना निचलौल, जनपद महराजगंज।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क

28.07.2026

01– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त मुकेश चौधरी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–158 / 2026 धारा–318(4),338,336(3),340(2),352,351(3)61(2)ए,61(2)बी, 127(2) भारतीय न्याय संहिता थाना निचलौल, जनपद महराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

02–अभियोजन पक्ष का केस है कि वादिनी मुकदमा रीना चौधरी की ओर से थाना निचलौल में इस आशय की तहरीर दी गई कि वह ग्राम पिपराकाजी, थाना निचलौल, जिला महराजगंज का निवासिनी है। उसके पिता सत्यनरायन भगवान का कथा सुनने का आयोजन एवं प्रीतिभोज दिनांक 21.10.2025 को रखा था, जिसमें अगल–बगल के कुछ मेहमान एवं रिश्तेदार आये हुए थे, उसके बहनोई विनोद चौधरी भी आये हुए थे उसके बहनोई से उसके घर आये हुए मेहमान मुकेश चौधरी पुत्र खुशिहाल चौधरी, साकिन पकड़ी अहवा, थाना निचलौल, जिला महराजगंज मो0नम्बर 9721766883 जिनकी बहन की शादी उसके घर के बगल में हुयी है से नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में बात–चीत हो रही थी, उसके पिता एवं उसके यहाँ आये हुए मेहमान निर्भय मद्धेशिया, दिलीप सभी लोग मुकेश की बातों को ध्यान से सुनने लगे, मुकेश चौधरी बता रहें थे कि अगर आप लोग बेरोजगार बैठे है तो कुछ पैसे खर्च करे आपको अच्छी सरकारी नौकरी अपने मित्र के माध्यम से दिला दूंगा। मुकेश ने अपने मित्र राजचन्द्रा उर्फ अजीत पुत्र संतराज, साकिन बड़हलगंज कोइली खाल, थाना–बड़हलगंज मो0 नम्बर 9795305903, 9335522362 जिला–गोरखपुर, आराधना कुमारी पत्नी कुलदीप, कुलदीप

पुत्र विजय प्रकाश, साकिन 215, नरेन्द्रनगर, उन्नाव, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव मोबाईल नम्बर 7985179080 एवं वर्तमान पता–मोहनलाल, 6/36 दीन दयालपुरम, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ, मोबाईल नम्बर 7752826153, आमोद राठौर पुत्र अज्ञात, साकिन सीतापुर रोड़ जानकीपुरम लखनऊ, पिनकोड़ 226031 मोबाईल नम्बर 9455932532 से वीडियों कालिंग के माध्यम से वहाँ उपस्थित सभी लोगों के समक्ष उन लोगों को झांसे में लेने के लिए बड़ी ही चतुराई से बात किया, मुकेश और मुकेश के मित्रगण कहें कि आप लोग पैसा खर्च करें तो जल्द ही सरकारी नौकरी ट्रेनिंग करा कर दिला दूंगा, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग मुकेश के छलावें में आ गयें और मुकेश को उसके पापा राजचन्द्रा एवं उनके सहयोगियों के झांसे में 02 लाख रूपया दे दिया, मुकेश ने उसके पापा से कहा कि आप अपने दामाद और बेटी के साथ लखनऊ रीना को भेज दीजिएगा, दिनांक 18.11.2025 समय करीब 03.00 बजे सुबह मे निचलौल से वाहन संख्या–यूपी 56बीए 5632 से मुकेश वह एवं उसके बहनोई विनोद को लेकर लखनऊ गया और वहाँ एक श्रीरामकृष्ण गेस्ट हाउस, हजरतगंज लखनऊ में रूकेऔर अपने सहयोगी मित्रगण राजचन्द्रा, आराधना, कुलदीप एवं आमोद राठौर के आफिस पर ले गये, जहाँ पर उसका एवं उसके बहनोई विनोद का फर्जी परीक्षा और इण्टरव्यू लिया उक्त लोग खुद ही इण्टव्यू लिये और खुद ही पास कर दिये, उसे तथा मेरे बहनोई विनोद को आफर लेटर एकनालेजमेन्ट एवं आईडी कार्ड दिया और उससे मुकेश तथा मुकेश के उपरोक्त मित्रगण ने नकद 02 लाख रूपये ले लिए और शेष रूपये के व्यवस्था के साथ झूठे ट्रेनिंग के लिए पुनः बुलाया, दिनांक 08.12.2025 को आमोद राठौर के सी.एस.सी. बिल्डिंग पूराना हाईकोर्ट कैसरबाग, लखनऊ के कार्यालय पर बुलाया गया जहाँ पर आमोद राठौर, आराधना, कुलदीप एवं राजचन्द्रा उसको कम्प्यूटर आपरेटर की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिये और कहें कि आपको जल्द ही सर्टिफिकेट मिल जायेगा और आप को हम लोग सरकारी नौकरी दिला देंगे और राजचन्दा एवं उनके सहयोगी उसको एक किराये के मकान में रख दिये जहाँ पर उसके साथ आराधना व बबिता एवं कुलदीप को रख दिया, राजचन्दा ने एवं आमोद राठौर ने आराधना को रखा था, आराधना को जब भी पैसे की आवश्यकता होती थी तो राजचन्द्रा से कहकर अपने आफिस खर्च एवं पर्सनल खर्च के लिए उसके मोबाइल पर पैसा मंगाती थी और कभी उसके साथ जाकर एवं कभी उसे अकेले भेजकर पैसा निकलवा कर ले लेती थी, दिनांक 18.02.2026 को अराधना का शादी का मैरिज एनवसर्री था और उस दिन राजचन्द्रा, कुलदीप के बुलाने पर आया था, काफी रात होने पर राजचन्द्रा वहीं पर रूक गया, उसकी ट्रेनिंग 26 फरवरी, 2026 को समाप्त कराते हुए झूठा बनावटी एवं कूटरचित प्रमाण पत्र जारी कर दिया और कहा कि हमलोग जल्द ही आप के होम डिस्ट्रिक में ट्रांसफर कर पोस्टिंग करा देंगे, आप को कहीं भी एक रूपये नहीं देना है और कहे कि पोस्टिंग तक हमारे पास ही रहिये तथा उसको लालच देते हुए डिप्टी डायरेक्टर पद पर रखे और कहें कि तुम्हारा ट्रांसफर हम लोग सीधे महराजगंज करा देंगे, उससे बाकी रूपया मुव0 50 हजार भी इसी बीच तगादा करके आनलाईन अपने फोन पे नम्बर–8858532832 से मोबाईल नम्बर 9795305903 जो राजचन्द्रा का था जिसका बैंकिंग नेम बालकृष्ण यादव दर्शित कर रहा था, दिनांक 15.03.2026 को करा लिया, वह बार–बार राजचन्दा एवं उनके सहयोगियों से आग्रह करती रही कि आप लोगों ने जितना पैसा मांगा और जो–जो कहें उसने वैसे किया लेकिन आज तक आप लोग लोग उसे नौकरी नहीं दिलायें इस

पर उक्त लोग उग्र हो गये और उसे माँ–बहन की गन्दी गन्दी गाली–गुप्ता देते हुए उसे बंधक बना लिये और कहें कि ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार कर फेंक देंगे. उन लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पायेंगा, वह किसी तरह समय पाकर उपरोक्त लोगों की चंगुल से निकल कर अपनी जान बचाकर वहीं से भाग कर अपने घर आयी और अपने माँ–पिता जी से सारी बातें बतायी, आराधना जिसे उसके साथ एक साजिश के तहत रखा गया था वह उसे बार–बार धमकी दे रही है कि मैं बिना तुम्हारी जानकारी के कई नहाने एवं कपड़ा चेंज करने का फोटो बना लिया है अगर कहीं कोई प्रार्थना पत्र उन लोगों के खिलाफ किया तो अभी तो नार्मल फोटो का स्टेटस लगा रहे है लेकिन नहीं मानी तो तुम्हारे जो फोटो मैंने खींच रखे है उसे सोशल मीडिया पर डाल कर तुम्हें बदनाम कर देंगे, वह स्थानीय थाने में मुकेश एवं उनके सहयोगियों के विरूद्ध लिखित प्रार्थना पत्र दिया, थाना निचलौल की पुलिस अभी तक दौड़ाती रही, उसको इधर कई दिनों से टेक्स्ट एवं वायस मैसेज एवं फोटो डालकर जान से मारने की धमकी उपरोक्त लोगों द्वारा दी जा रही है। उसने दिनांक 23.05.2026 को आईजीआरएस सूचना दी लेकिन मुल्जिमानों के विरूद्ध के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई और उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा उसके नम्बर पर जरिए टेक्स्ट मैसेज एवं वायस मैसेज तथा स्टेटस के माध्यम जान से मारने एवं बदनाम करने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह काफी डरी व सहमी हुई है।

03–आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कि वह पूर्णतया निर्दोष है, मात्र गलतफहमीवश मुकदमा उपरोक्त में सम्पृक्त कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अपराध सभी की धाराएँ अभियुक्त पर आयत नहीं हो रहीं हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के वादी से अभियुक्त का कोई सम्बन्ध नहीं है और अभियुक्त को वादी मुकदमा द्वारा पुलिस से सांठ गांठ कर गलत एवं बेबुनियाद तथ्यों का आरोप अभियुक्त पर लगाकर अभियोग पंजीकृत कराया गया है जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बिलंब से पंजीकृत कराया गया है जिसका कोई ग्राह्य कारण अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा कथित अपराध बिल्कुल कारित नहीं किया गया है और न तो अभियुक्त ने कोई भी दस्तावेज को तैयार किया है और न तो किसी दस्तावेज पर अभियुक्त के हस्ताक्षर ही हैं और न तो अभियुक्त के द्वारा कोई भी धनराशि का लेन देन ही किया गया है। अभियुक्त का कोई भी सहअभियुक्तों से वास्ता सरोकार नहीं है और न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित रूप से वर्णित अपराध में किसी तरह का कोई रोल प्ले किया गया विपरीत इसके वादी द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त पर लगाया गया आरोप पूर्णतया काल्पनिक और बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्त को किसी भी तरह के मनी ट्रान्जेक्सन की तिथि समय और स्थान के विषय में कोई जानकारी बिल्कुल नहीं है। यही नहीं दिनांक–21.10.2025 को जिस शादी समारोह का जिक्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है उसके होस्ट से अभियुक्त का कोई सम्बन्ध ही नहीं है इसलिए शादी समारोह में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अभियुक्त ने किसी तरह का कोई फर्जी नियुक्ति पत्र न तो दिया है और न तो सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में कोई बातचीत ही किया है। अभियुक्त स्वयं आउटसोर्सिंग के माध्यम से ग्रामीण बैंक में बहुत ही अल्प वेतन पर कार्य करता है

और प्राप्त अपने आय से प्रसन्न है वादी और अभियुक्त के सह जनपद वासी होने के कारण मामले में उसे सम्पृक्त कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त पर लगाया गया आरोप बिलकुल संदेहास्पद है और संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। उक्त अपराध की सभी धाराएँ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त निम्न आधारों पर भी जमानत प्राप्त करने का अधिकारी निर्दोष होने का सिधान्त, जमानत नियम है जेल अपवाद, ट्रायल में लगने वाला समय, आरोपी का जमीन जायदाद और परिवार यहीं है और रोजगार भी यहीं है। साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अभियुक्त और उसके माताजी लालती और पत्नी ललिता का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब चल रहा है और अभियुक्त स्वंय डायबिटीज और अन्य बीमारियों से ग्रसित है जिनके देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभियुक्त पर ही है। निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

04—अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व अन्य लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनका फर्जी प्रशिक्षण कराया गया और पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया गया। अभियुक्त के द्वारा घोर अपराध किया गया है तथा जमानत से रिहा होने पर अभियुक्त द्वारा उसी अपराध में संलिप्तता पाए जाने की संभावना है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

05—मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा थाने की आख्या एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

06—उभयपक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर कर वादिनी मुकदमा व अन्य लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर एकनालेजमेन्ट, आई.डी. कार्ड, ऑफर लेटर, कूटरचित करके जारी किया गया है। वादिनी मुकदमा व उसके अन्य साथियों द्वारा जो पैसा उन्हें दिया गया है उसकी स्क्रीन शॉट रसीद भी दाखिल किया गया है। साथ ही साथ बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा अपने खाते में पैसे का भुगतान किया गया है। वादिनी मुकदमा व उसके अन्य साथियों के साथ अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण के फोटोग्राफ पत्रावली पर मौजूद है साथ ही साथ उनके द्वारा कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एण्ड राईट काउंसिल द्वारा जारी फर्जी प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से वादिनी मुकदमा व उसके अन्य साथियों के साथ पैसा लेकर कूटरचना करके उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र, आई.डी. कार्ड, प्रमाण पत्र व एकनालेजमेन्ट देकर उनके साथ छल कपट किया गया है और पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गई है। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य सह अभियुक्तों से मिलकर बेरोजगार युवकों को उनकी बेरोजगारी व परेशानी का लाभ उठाते हुए उनके साथ छल करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर सुनियोजित एवं संगठित तरीके से धन वसूला गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो निश्चित ही व साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा और वादी मुकदमा को डरायेगा और धमकायेगा। अतः

मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

07–आवेदक/अभियुक्त **मुकेश चौधरी** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–158/2026 धारा–318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),61(2)ए, 61(2)बी,127(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज में निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 28.07.2026

(ज्ञानेन्द्र राव)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6294
अपर सेशन न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।